नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जा

2004/00003

# न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी जिला जोधपुर राज.

बइजलास यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1– रामाकिसन पुत्र सुरजनराम<br>2– जैती बेवा सुरजनराम<br>3– धर्माराम पुत्र मुगलाराम<br>4– बीरबलराम पुत्र हिरकनराम<br>5– सुखराम पुत्र हिरकनराम<br>6– मोहनराम पुत्र हिरकनराम<br>7– झमू बेवा हिरकनराम<br>सभी जाति विश्नोई | | 1– मंगलाराम पुत्र जसवंताराम<br>2– धूडाराम पुत्र विसनाराम<br>जाति विश्नोई<br>निवासी शिमला खारा<br>3– ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल<br>4– रामी पत्नि बंशीलाल<br>(प्रतिवादी संख्या 3 से 4<br>प्रोफॉर्मा पार्टी |

## दावा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

राजस्व वाद संख्या 141/2004.

उपस्थित :–

1. अधिवक्ता वादी श्री रेंवतसिंह पातावत
2. अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री प्रवीण मदेरणा, ओमप्रकाश विश्नोई

## ::–:निर्णय::–::

दिनांक :- 17/03/2020

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है यह कि ग्राम खारा के नये राजस्व ग्राम शिमला के खसरा नम्बर 202/2 रकबा 297 बीघा 01 विस्वा तथा खसरा नम्बर 206/1 रकबा 75 बीघा 15 विस्वा भूमि जसवन्ता व धूडा पिता बिसनाराम की संयुक्त सह–खातेदारी दर्ज थी। उसमें से खसरा नम्बर 202/2 रकबा 27 बीघा तथा खसरा नम्बर 206/1 रकबा 56 बीघा 15 विस्वा भूमि सुरजनराम, हिरकनराम व धर्माराम पिता मुगलाराम के क्रय करने के वक्त दिनांक 17–04–59 को जसवंता, धूडा पिता विसना के नाम से राजस्व अभिलेखों में अंकित थी। जसवंताराम ने अपने बण्ट में आई हुई काश्त भूमि खेत खसरा नम्बर 202 व 206 में से 27 बीघा व 56 बीघा 15 विस्वा भूमि 49/– रूपये में विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था और यह भूमि जरिये नामांतरकरण संख्या 28/46 के सुरजनराम, हिरकनराम, धर्माराम पिता मुगलाराम के नाम राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी में अंकित हो गयी थी जो आज तक खातेदारी में अंकित चली आ रही है। वर्तमान समय में कृषि भूमि की कीमतें बढ जाने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण के पक्ष में स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 28/46 ग्राम खारा को निरस्त करवाने की अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी में पेष की जो अपील तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 28/46 को तहसीलदार फलोदी को जांच कर पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही के निर्देष के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने प्रति प्रेषित की। अपील के निर्णय के बाद प्रतिवादी संख्या 2 धूडाराम ने एक राजस्व वाद संख्या 48/96 अनवान धूडाराम बनाम जसवंताराम के कायम मुकाम वगैरा अंतर्गत धारा 88 89, 188, 53 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम का पेष किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 धूडाराम ने खेत खसरा नम्बर 202 में से 7 बीघा व खसरा नम्बर 206 में से 56 बीघा 15 विस्वा भूमि जसवंताराम के द्वारा उसकी सहम[illegible] को विक्रय किया जाना स्वीकार किया। इस प्रकार वादीगण को [illegible] काष्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त है। खेत खसरा न[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.15 12:01:36 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की आज दिन 5 रहवासीय ढाणियां एवं पानी के कुण्ड एवं घास एवं पशुओं के बाड़े इत्यादि बने हुए है तथा वादीगण के सन् 1959 के बाद से इम्प्रूवमेण्ट्स है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 22–10–2004 को वादग्रस्त भूमि पर आकर वादीगण को धमकी दी कि दोनों ही खेत का कब्जा छोड़दो और खेत में बनी ढाणियां छोड़ कर चले जाओ वर्ना जबरन कब्जा कर लेंगे तुम्हारे हक में स्वीकृत नामांतरकरण को हमने खारिज करवा दिया है। प्रतिवादीगण कानून हाथ में लेकर जबरन बलपूर्वक उनकी खातेदारी की काश्त भूमि एवं रहवासीय ढाणी से बेदखल कर देंगे तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी इसलिये वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने एवं खातेदारी घोषणा का अधिकारी है। वादीगण का प्रतिवादीगण के विरूद्ध उनके नामांतरकरण की अपील प्रस्तुत करने सन 1976 के बाद प्रतिकूल कब्जा में चले आ रहे है। वादीगण को प्रतिकुल कब्जा के आधार पर विवादग्रस्त काश्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त है जिसकी घोषणा करवाई जावे।

इस्तदुवा वादीगण निम्न है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध खुलमखुल्ला जबरन कब्जा प्राप्त करने के प्रयास के कब्जा काश्त में होने से प्रतिकूल कब्जा से वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है वादीगण को खातेदार कृषक काबिज घोषित किया जाकर वादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस सूचना दी गयी जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री शिवदानमलजी व्यास, ईशारामजी चौधरी का वकालतनामा पेश कर जवाबदावा एवं काऊण्टर क्लेम पेश किया गया।

प्रतिवादी द्वारा वाद–पत्र में अभिकथन अस्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 202 व 206 में वर्णित भूमि का जुबानी बेचान दिनांक 17–04–59 को जसवंता धूडा पुत्र बिसना के नाम से जो भूमि थी इन दोनों ने आपसी सहमति से बण्टवाडा नहीं किया था बल्कि दोनों की संयुक्त सह खातेदारी की थी और जसवंताराम ने अपने हिस्से की भूमि सक खसरा नम्बर 202 रकबा 297 बीघा व खसरा नम्बर 206 रकबा 56 बीघा 15 बिस्वा भूमि 49/– रूपये में जरिये जुबानी बेचान कभी विक्रय नहीं की थी। जसवंताराम का स्वर्गवास तारीख 17–04–59 के काफी पहले हो चुका था और प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम उस समय नाबालिग था। ग्राम खारा का सरपंच श्री चैनाराम वादी के पिता सुरजनराम, हिरकनराम, धर्माराम का नजदीकी रिष्तेदार था इसलिये सरपंच व पटवारी ने मिल कर गलत तरीके से म्यूटेषन भर कर राजस्व रेकर्ड में इंद्राज करवा दिया। तारीख 17–04–59 को जसवंताराम इस दुनिया में नहीं थे इसलिये उनके द्वारा कोई भी भूमि विक्रय करने का एवं कब्जा देने का या विक्रय–पत्र लिखने का प्रष्न ही पैदा नहीं होता है। एसा कोई विक्रय–पत्र न तो वादीगण के पास है और न ही उनकी ओर से कभी पेष किया है। फर्जी विक्र–पत्र बना कर नामांतरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के बालिग होने पर भारतीय वायुसेना में तारीख 06–01–69 को नौकरी करली। प्रतिवादी संख्या 2 को जब इस प्रकार की फर्जी नामांतरकरण की जानकारी हुई तब उसने इस नामांतकररण की अपील उपखण्ड अधिकारी फलोदी के पास पेष की जो मुकदमा नम्बर 5/76 है। इस अपील का निर्णयतारीख 10–08–92 को हुवा और नामांतरकरण संख्या 28/46 जो पंचायत द्वारा गलत तरीके से स्वीकार किया गया था उसे खारिज कर दिया और पत्रावली तहसीलदार फलोदी के पास पूर्ण जांच के लिये भेज दी गयी जो रीमाण्ड पत्रावलि मुकदमा नम्बर 10/93 के रूप में दर्ज की गयी और उसका निर्णय 10–01–2005 को किया गया। नामांतरकरण संख्या 28/46 दिनांक 30–05–59 जो कि उपखण्ड अधिकारी फलोदी के द्वारा खारिज कर दिया गया था, उसकी प्रतिपालना में राजस्व रेकर्ड में संषोधन नहीं किया गया और सुरजनराम, हिरकनराम, धर्माराम खातेदार दर्ज होते गये जो तहसीलदार फलोदी के निर्णय तारीख 10–01–2005 पर हटाये जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन की गयी। वादीगण प्रभावषाली व्यक्ति है। वादीगण द्वारा जमा शेष रही भूमि में धूडाराम को भुलावे में रखते हुए, धूडाराम एवं मंगलाराम से जमीन हडपने का प्रयास किया इस आधार पर उसको बहका कर एक दावा जरूर करवाया, प्रतिवादी संख्या 2 ग्रामीण व्यक्ति होने से वादी संख्या [illegible] जो स्वयं एडवोकेट है, के बहकावे में आ गया और उसने दावा कर दिया जो मुकदमा नम्बर 48/[illegible] प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा सही तथ्यों का ज्ञान होने [illegible] को दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.15 12:01:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी की ओर से प्रतिदावा स्वीकार किया जाने योग्य है । तथा वादीगण को अतिकमी घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को कब्जा सुपुर्द किया जाना विधिसम्मत है।

## –:आदेशः–

वाद वादीगण खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार किया जाता है। खसरा नम्बर 202 रकबा 27 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 206 रकबा 56 बीघा 15 बिस्वा भूमि ग्राम शिमला खारा में वादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं अतिक्रमण हटाकर वादीगण को बेदखल कर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कब्जा दिलाया जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार तहसीलदार फलोदी निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(यशपाल अहूजा, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर
फलोदी

Signature Not Verified

Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.15 12:01:36 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलौदी
बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)

| वादीगण | प्रतिवादी |
|---|---|
| 1– रामकिसन पुत्र सुरजनराम<br>2– जैती बेवा सुरजनराम<br>3– धर्माराम पुत्र मुगलाराम<br>4– बीरबलराम पुत्र हिरकनराम<br>5– सुखराम पुत्र हिरकनराम<br>6– मोहनराम पुत्र हिरकनराम<br>7– झमू बेवा हिरकनराम<br>सभी जाति विश्नोई | 1– मंगलाराम पुत्र जसवंताराम<br>2– धूडाराम पुत्र विसनाराम<br>जाति विश्नोई<br>निवासी शिमला खारा<br>3– ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल<br>4– रामी पत्नि बंशीलाल<br>(प्रतिवादी संख्या 3 से 4<br>प्रोफॉर्मा पार्टी |

**वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

वाद संख्या 08 /2014

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे व हाजिर श्री रेवन्तसिंह पातावत अधिवक्ता मुदई व श्री प्रवीण मदेरणा, ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार किया जाता है। खसरा नम्बर 202 रकबा 27 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 206 रकबा 56 बीघा 15 बिस्वा भूमि ग्राम शिमला खारा में वादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं अतिक्रमण हटाकर वादीगण को बेदखल कर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कब्जा दिलाया जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार तहसीलदार फलोदी निर्णय की पालना सुनिश्चित करे।

मुतालिक बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

वसूल याबी तक

बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 03 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा
फलोदी (जोधपुर)

मोहर

| मुदई | | रुपया | पैसे | मुदायला | रुपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – | – | अर्जी दावा स्टाम्प | – | – |
| अर्जी दावा स्टाम्प | | | | वकालतनामा | | |
| वकालतनामा | | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | | मेहनतनामा वकील | | |
| मेहनतनामा वकील | | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | | बाबत् इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | | | | मिजान | | |
| मिजान | | | | | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.15 12:01:36 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकैन की ... जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।